न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0**

राजस्व वाद संख्या : **295/2019 (129/2018)**

GCMS NO. : **2018/00032**

–: वादी :–	**बनाम**	**–: प्रतिवादी :–**
1. सुरेश पुत्र मुन्नाराम जाति–सिरवी निवासी–आगेवा तहसील जैतारण जिला पाली।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.28/05/2018

उपस्थितः– 1. श्री रूस्तम खान भाटी, अधिवक्ता वादी।
2. तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 29/04/2022**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादी के पिता के नाम से मौजा आगेवा, पटवार हल्का आगेवा, तहसील जैतारण जिला पाली, राज0 मे खसरा नम्बर 619, 620, 621 व 622 कुल रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा की कृषि भूमि आयी हुई है। जिसमे वादी के पिता का 1/2 हिस्से के हिस्सेदार है। उपरोक्त कृषि भूमि में वादी के पिता का नाम मुनाराम के स्थान पर ढगलाराम पुत्र भीकाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड मे रोंग इन्दाज हो गया था जिस बाबत् वादी के पिता ने अन्तर्गत धारा 88 के तहत तहसीलदार, राज0काश्त0अधि0 के तहत तहसीलदार, जैतारण के विरूद्ध दिनांक 13/09/2010 को प्रस्तुत किया था जिसका निर्णय दिनांक 23/09/2010 को किया जाकर वादी के पिता के पक्ष मे डिक्री जारी कर वादी के पिता का नाम ढगलाराम पुत्र भीकाराम गलत इन्द्राज के स्थान पर मुनाराम पुत्र भीकाराम के नाम दर्ज करने का आदेश जारी किया गया था। उपरोक्त आदेश के जरिये राजस्व रेकर्ड में म्युटेशन संख्या 1521 के अनुसार वादी के पिता का नाम ढगलाराम पुत्र भीकाराम के स्थान पर मुनाराम पुत्र ढगलाराम दर्ज किया गया। वादी के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड मे ढगलाराम के स्थान पर मुनाराम का दुरूस्त कर दिये जाने के बाद खसरा नम्बर 621 रकबा 42 बीघा मे वादी सुरेश पुत्र ढगलाराम के स्थान पर सुरेश पुत्र मुनाराम दर्ज नहीं किया गया है जो एक रोंग इन्द्राज है जिसे वादी रोंग इन्द्राज के आधार पर सुरेश पुत्र मुनाराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने व सुरेश पुत्र मुनाराम के नाम की प्रविष्टि की घोषणा कराने का अधिकारी है। राजस्व [illegible] सुरेश पुत्र ढगलाराम के स्थान पर सुरेश पुत्र मुनाराम के [illegible] जाना कानूनन आवश्यक है। वादी मुनाराम का पुत्र है जि[illegible] सुरेश पुत्र [illegible]म का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 16:55:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

अंकित है, वादी के पिता मुन्नाराम पुत्र भीकाराम जाति सिरवी निवासी आगेवा के नाम से जारी किया गया आधार कार्ड, सुरेश पुत्र मुन्नाराम के नाम बैंक की पासबुक की प्रतिलिपिया वादपत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। जिसमे वादी का नाम सुरेश पुत्र मुन्नाराम जाति सिरवी दर्ज है जबकि राजस्व रेकर्ड मे सुरेश पुत्र ढगलाराम दर्ज होने से वादी अपनी जमीन को उपजाउ व उपयोगी बनाने के लिये लॉन लेने में असमर्थ है। वादी द्वारा खसरा नम्बर 621 की कृषि भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर लॉन लेने हेतु हल्का पटवारी आगेवा से जमाबन्दी की नकल दिनांक 23/05/2018 को लेने पर वादी को खसरा नम्बर 621 की भूमि में सुरेश पुत्र ढगलाराम जाति सिरवी निवासी आगेवा रोंग इन्द्राज होने की जानकारी प्राप्त हुई है। जिसे वादी सुरेश पुत्र ढगलाराम के स्थान पर सुरेश पुत्र मुन्नाराम जाति सिरवी दर्ज करवाने व अपने नाम की घोषणा करवाने का यह वादपत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् धारा 80 (2) सीपीसी का वादपत्र के साथ संलग्न है। बिनाय दावा दिनांक 23/05/2018 को खसरा संख्या 621 की नकले लेने पर राजस्व रेकर्ड में सुरेश पुत्र मुनाराम के स्थान पर सुरेश पुत्र ढगलाराम के रोंग इन्द्राज की जानकारी प्राप्त होने पर वादी का बिनाय दावा मौजा आगेवा तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे उत्पन्न होता है जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में है।

इस पर वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रतिवादी/तहसीलदार जैतारण ने जवाब दावा प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है। तहसीलदार जैतारण ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि राजस्व रेकर्ड मौजा आगेवा, तहसील जैतारण की जमाबन्दी सम्वत् 2077-2080 (स्थाई) में खसरा नम्बर 619,620,621,622 अन्य सहखातेदार के साथ में वादी के पिता मुनाराम पुत्र भीकाराम के नाम दर्ज है। राजस्व रेकर्ड मौजा आगेवा के खसरा नम्बर 621 में वादी के पिता का नाम अन्य सहखातेदारों के साथ में ढगलाराम दर्ज है, जबकि वादी द्वारा पेश दस्तावेज में वादी के पिता का नाम मुनाराम है। वाद-पत्र के बिन्दू संख्या 3 व 4 कानूनी बिन्दू है जो न्यायालय से संबंधित है। यह सही है कि मौजा आगेवा खसरा नं 621 अन्य सहखातेदारों के साथ में सुरेश पुत्र ढगलाराम के स्थान पर सुरेश पुत्र मुनाराम दर्ज किया जाना उचित है।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में स्वयं का एवं गवाह धर्मीचन्द, मुन्नाराम के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये, जो शा0मि0 है। बहस वकील उभयपक्ष राजस्व वाद बाबत् घोषणा अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात का [illegible] से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील [illegible] किया। ग्राम आगेवा की जमाबन्दी संवत् 2073-20[illegible] (स्थाई) में खसरा नंबर 621 रकबा 42-09

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 16:55:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

बीघा में 'सुरेश पुत्र ढगला' अन्य खातेदारों के साथ बतौर खातेदार दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध न्यायालय निर्णय दिनांक 23/11/2010 की प्रमाणित प्रति (प्रदर्श-4) एवं ग्राम आगेवा के खसरा संख्या 619, 620 व 622 की जमाबंदी संवत् 2073-2076 (प्रदर्श-2) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त खसरान में ना.सं. 1521 दिनांक 27.05.2013 के द्वारा वादी के पिता का नाम मुन्नाराम पुत्र भीकाराम दर्ज हुआ।

साक्ष्य वादी में वादी ने स्वयं के शपथ-पत्र PW-1 मे वादी के पिता का नाम राजस्व रिकर्ड में ढगलाराम के स्थान पर मुन्नाराम दुरूस्त किये जाने के बाद खसरा संख्या 621 में वादी का नाम सुरेश पुत्र ढगलाराम के स्थान पर सुरेश पुत्र मुन्नाराम दर्ज नहीं होने के कथन किये तथा भू-अभिलेख में सुरेश पुत्र ढगलाराम के स्थान पर सुरेश पुत्र मुन्नाराम दर्ज करने की प्रार्थना की। अन्य शहादत में गवाह धर्मीचन्द पुत्र ओगड़राम का साक्ष्य शपथ-पत्र PW-2 व स्वयं वादी के पिता मुन्नाराम पुत्र भीकाराम का साक्ष्य शपथ-पत्र PW-3 प्रस्तुत किया। गवाह धर्मीचन्द ने अपने शपथ-पत्र PW-2 में यह कथन किये कि खसरा संख्या 621 का खातेदार काश्तकार हूँ तथा सुरेश पुत्र मुन्नाराम भी इस भूमि में खातेदार काश्तकार है जिसके पिता का वास्तविक नाम मुन्नाराम है लेकिन राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज हो गया है तथा सुरेश को सुरेश पुत्र मुन्नाराम के नाम से ही जाना पहचाना जाता है। गवाह मुन्नाराम (वादी के पिता) ने अपने शपथ-पत्र PW-3 में अपना वास्तविक नाम मुन्नाराम पुत्र भीकाराम जाति सीरवी निवासी आगेवा होने तथा अपने पुत्र सुरेश का वास्तविक नाम सुरेश पुत्र मुन्नाराम होने के कथन किये। वादी ने वाद-पत्र में सशपथ यह कथन किये कि वादी का वास्तविक नाम सुरेश पुत्र मुन्नाराम है जबकि राजस्व रेकर्ड में सुरेश पुत्र ढगलाराम दर्ज होने से वादी अपने जमीन को उपजाउ व उपयोगी बनाने के लिए ऋण लेने में असमर्थ है। प्रदर्श-6ए वादी के आधार कार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी का नाम सुरेश पुत्र मुन्नाराम है।

प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा जवाब दावे में यह स्पष्ट किया गया कि राजस्व रेकर्ड मौजा आगेवा खसरा नं 621 अन्य सहखातेदारों के साथ में सुरेश पुत्र ढगलाराम के स्थान पर सुरेश पुत्र मुनाराम दर्ज किया जाना उचित है।

इस प्रकार तहसीलदार जैतारण के जवाब दावा एवं वादी के शपथ-पत्र, वादी के पिता मुन्नाराम पुत्र भीकाराम का एवं सह-खातेदार गवाह धर्मीचन्द पुत्र ओगड़राम का शपथ-पत्र एवं प्रदर्श दस्तावेजात के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 621 ग्राम आगेवा के भू-अभिलेख में सह-खातेदार दर्ज सुरेश पुत्र ढगला का दस्तावेजों में दर्ज अनुसार सही एवं वास्तविक नाम सुरेश पुत्र मुन्नाराम है ना कि सुरेश पुत्र ढगला। अतः भू-अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि 'सुरेश पुत्र ढगला' के स्थान पर 'सुरेश पुत्र मुन्नाराम' किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 16:55:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा आगेवा पटवार हल्का आगेवा तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में खसरा नम्बर 621 में बतौर खातेदार दर्ज वादी के पिता के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ''***ढगला***'' को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर पिता के सही एवं वास्तविक नाम की प्रविष्टि ***''मुन्नाराम''*** दर्ज करते हुये वादी **सुरेश पुत्र मुन्नाराम** कौम सीरवी निवासी ग्राम आगेवा तहसील जैतारण जिला पाली को वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 621 ग्राम आगेवा के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला–पाली (राज०)

निर्णय आज दिनॉक 29/04/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला–पाली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 15:55:17 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 21 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादी :–
1. सुरेश पुत्र मुन्नाराम जाति–सिरवी निवासी–आगेवा तहसील जैतारण जिला पाली।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण जिला पाली।

मु0न0 :रा0वा0 स0: 295/2019 (129/2018)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री रूस्तम खान भाटी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा आगेवा पटवार हल्का आगेवा तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में खसरा नम्बर 621 में बतौर खातेदार दर्ज वादी के पिता के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ***"ढगला"*** को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर पिता के सही एवं वास्तविक नाम की प्रविष्टि ***"मुन्नाराम"*** दर्ज करते हुये वादी **सुरेश पुत्र मुन्नाराम** कौम सीरवी निवासी ग्राम आगेवा तहसील जैतारण जिला पाली को वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 621 ग्राम आगेवा के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–...... फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 29/04/2022 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	2.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	6.00	मिजानः–	0.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह [illegible] को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 15:55:17 IST
Reason: SelfAttested